संख्या:417 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 28 जुलाई, 2006

विषयः–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय हेतु तहसील देहरादून के ग्राम तरला नांगल में 1.154 है0 भूमि पट्टे पर आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–492/12ए–58 (2005–08) दिनांक 22 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील देहरादून ग्राम तरला नांगल के खसरा नं0 527क रकबा 1.154 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार नजराना रु0 32,31,200–00 (रु0 बत्तीस लाख इकत्तीस हजार दो सौ मात्र) एक मुश्त जमा कराने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के सौ गुने के बराबर वार्षिक लगान रु0 1500–00 (रु0 एक हजार पाँच सौ मात्र) नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

.....(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा निगम का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग मे निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, उत्तरांचल सरकार, प्रेमनगर, देहरादून।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।